पत्रांक–7/स्था01–15–2/2012 सा0प्र0 15470/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना–15, दिनांक 19.10.2015

विषयः– एल0टी0सी0 के साथ अर्जित अवकाश का नकदीकरण एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 – उत्तर–पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के भ्रमण हेतु हवाई जहाज से यात्रा करने की छूट के संबंध में दिशा निदेश जारी करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–32869 दिनांक 12.06.2015 एवं 45652 दिनांक 12.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में स्पष्ट करना है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9188 दिनांक 14.09.2006 द्वारा **राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए ऑल इंडिया (लीव ट्रेवेल कन्सेशन) रूल्स, 1975 के सभी प्रावधान एल0टी0सी0/एच0टी0सी0 सुविधा के उपभोग के लिए लागू हैं।**

अतः कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन **संख्या–31011/3/2014–Estt.(A-IV) दिनांक 26.09.2014 एवं 31011/4/2008–स्था॰(क) दिनांक 23.09.2008** द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा के सरकारी सेवकों के लिए जारी किये गये प्रावधान राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए भी लागू होते हैं।

राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के आलोक में वायुयान यात्रा की सुविधा केवल एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास में एल0टी0सी0 80 अथवा उसके कम के किराया (Fare) पर लागू होगी।

विश्वासभाजन

(अरूण प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था01–15–2/2012सा0प्र0 15470/पटना–15, दिनांक 19.10.2015

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।